तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6293/2006/जयपुर संजयकुमार बनाम श्रीनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2022	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी श्री, धर्मवीर सिंह अधिवक्तता रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को निगरानी पर सुना गया । योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उपरोक्त निगरानी याचिका प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अवैधानिक रूप से रेस्पो0 की अपील को स्वीकार कर जयपुर विकास प्राधिकरण उपायुक्त द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश दिनांक 10.01.2022 को निरस्त कर प्रकरण को रिमांड करने के विरूद्ध पेश की। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि माननीय न्यायालय ने निगरानी एडमिट कर जयपुर विकास प्राधिकरण की पत्रावली को तलब की परंतु जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिनांक 16. 03.2022 को मूल पत्रावली ना भेजकर कुछ पुष्ठों की छाया प्रतिलिपि संलग्न कर भेज दी जबकि प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली को भेजना कानूनन आवश्यक है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने निगरानी याचिका को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व तथा पक्षकारों के मध्य विवाद को अंतिम रूप से निस्तारण करने के लिये मूल पत्रावली को तलब किये जाने का निवेदन किया।	७

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6293/2006/जयपुर संजयकुमार बनाम श्रीनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। उक्त प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी निगराकार पक्ष द्वारा प्रस्तुत दिनांक 09.11.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात की आवश्यकता निर्णय में अपेक्षित रहेगी। प्रार्थी पक्ष का निवेदन है कि संबंधित पूर्ण मूल पत्रावली की इस प्रकरण में आवश्यकता रहेगी। उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस के आधार पर इस प्रार्थना पत्र के संबंध में यह आदेश दिया जाता है कि इस प्रकरण में संबंधित जयपुर विकास प्राधिकरण की संपूर्ण मूल पत्रावली की तलबी हेतु पत्र जारी किया जावें। संबंधित दोनों पक्ष के अभिभाषक को भी आदेश दिया जाता है कि वह संबंधित मूल संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि आगामी तारीख पेशी 08.02.2023 पर प्रस्तुत करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	